

अति तत्काल  
आर टी आई मामला

सं. 14036/487/2013-यू टी पी  
भारत सरकार  
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक 12 जुलाई, 2013

सेवा में,

श्री हरपाल सिंह राणा,  
ए-1, ग्राम व पोस्ट कादीपुर  
दिल्ली-100036

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 4.4.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 9.7.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना इस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि आर टी आई आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत उचित कार्रवाई हेतु इसे दिल्ली पुलिस को भेजा जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

Issued with encl.  
1854/1855  
23/7.

०७८ [१५/७/१३]  
(एस. सुधा)  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
एवं अवर सचिव (डी पी-11)  
दूरभाष: 23092856

प्रतिलिपि:

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली। आर टी आई आवेदन की प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न की जाती है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे उपलब्ध कराई जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा करा दिया है।